7/6/18

पत्रावली आज न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना खाद्य सुरक्षा में पेश हुई। मामले आज में प्रकरण की सुनवाई की गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादीगण अपने वाद के साथ दावा लगाकर वाद हुक्मी कराना चाहते थे। प्रार्थी वाद के साथ उपवाद लगाने का कारण में कोई प्रावधान नहीं है। अतः पत्रावली अव्यवहारिक व खारिज होने से खारिज की जाती है। पत्रावली लंबित दायिक दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner